MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination
GLOBAL INVESTORS' SUMMIT 2017
16 - 17 February, Ranchi

पत्र संख्या–वनभूमि–35 / 2016– 1481 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 4/04/17

विषय :– कमान्डेन्ट–157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा CRPF–157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–1043 दिनांक–21.11.2016 एवं पत्रांक–144 दिनांक–22.02.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सरायकेला–खरसावा जिला में CRPF–157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की सम्यक समीक्षोपरांत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–11–09 / 98–FC दिनांक–13.05.2011 तथा दिनांक–25.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202 / 1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.97 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(ग) यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई / अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।

(घ) प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।

(ङ) प्रस्तावित वनभूमि में कैम्प निर्माण के क्रम में कम–से–कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 36 वृक्षों से अधिक का पातन नही किया जायेगा।

(च) कैम्प निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(छ) भविष्य में यदि राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(ज) वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।

(झ) यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन, परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय–समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस–पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।

MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination
GLOBAL INVESTORS' SUMMIT 2017
16-17 February

(ञ) परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस–पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।

(ट) अपयोजित होने वाली वन भूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नही किया जायेगा।

(ठ) उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार के दिशा–निर्देश की कंडिका–1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

सैद्धांतिक सहमति के शर्तो के अनुपालन होने के उपरांत अंतिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

विश्वासभाजन

4/4

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–35/2016– 1481 व0प0, राँची दिनांक– 4/04/17

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

4/4

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–वनभूमि–35/2016– 1481 व0प0, राँची दिनांक– 4/04/17

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रिजन, जमशेदपुर/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/सब इन्सपेक्टर, 157 बटालियन, CRPF, Govt. Polytechnic College Campus, आदित्यपुर, झारखण्ड–832109 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/4

सरकार के उप सचिव